भीम BHIM 150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

एसपीएल–2, पंचम चरण, रिको औद्योगिक क्षेत्र, किशनगढ़ (अजमेर)

राप्रनिम/क्षैका किश/पीयूबी–123/ दिनांक :

पर्यावरणीय स्वीकृति समूह खनन परियोजना हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स बापू मार्बल्स एवं ग्रेनाइट प्रा. लि. द्वारा रामालिया ग्रेनाइट क्लस्टर खनन परियोजना ग्राम–रामालिया, तहसील–भिनाय, जिला–अजमेर जिसका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र. स.	प्रोजेक्ट का नाम	खनन पटटा संख्या	क्षेत्रफल हैक्टेयर में	उत्पादन क्षमता
1	मैसर्स बापू मार्बल्स एवं ग्रेनाइट प्रा. लि. खसरा सं. 899, 914/2675, 2820/914, 2819/913 एवं 915	22/2018	2.8431	255564 टीपीए (आर.ओ.एम.)
2	श्री फूल सिंह	01ए/2001	1.6675	38160 टीपीए
3	श्री लक्ष्मण सिंह शेखावत	16ए/2012	3.0001	134150 टीपीए
4	श्री लक्ष्मण सिंह शेखावत	17ए/2012	3.00	105610 टीपीए
5	श्री शंकर लाल साहू	23/2012	1.6884	32636 टीपीए
6	श्री शंकर लाल साहू	24/2012	1.6884	35336 टीपीए
7	श्रीमति कमला	11/2014	1.5838	174000 टीपीए
8	श्री फूल सिंह	12/2014	1.69	189900 टीपीए

कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 17.1613 हैक्टेयर, कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता–965356 टीपीए ग्राम रामालिया, तहसील भिनाय, जिला अजमेर से संबन्धित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।

2. और चूंकि **मैसर्स बापू मार्बल्स एवं ग्रेनाइट प्रा. लि.** ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एव पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 ओर एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के अनुसार समूह लोक सुनवाई हेतु आवश्यक है।

3. उक्त समूह खनन परियोजना से सम्बन्धित समूह EIA/EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है :–

1. जिला कलक्टर, अजमेर।
2. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मुल्यांकन समिति, राजस्थान, 04, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
4. क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ़, जिला–अजमेर।
5. तहसील–भिनाय, जिला–अजमेर।
6. राजीव गांधी सेवा केन्द्र, रामालिया, तहसील भिनाय, जिला अजमेर।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर के पत्र क्रमांक कअ/विकास/2021/9554 दिनांक 20.07.2021 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु **दिनांक 28/08/2021** को **दोपहर 03:30 बजे, स्थान – राजीव गांधी सेवा केन्द्र, रामालिया, तहसील भिनाय, जिला–अजमेर** में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते है।

इस संबंध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षैत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ, जिला–अजमेर को भी दिये जा सकते है।

(दीपक तंवर)
पर्यावरण अभियंता एवं क्षैत्रीय अधिकारी